संख्याः–1428 / एक–10–2021–33(2) / 2021

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
खीरी, सिद्धार्थनगर एवं देवरिया।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांकः 29 सितम्बर, 2021

विषयः–दैवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों / परिवारों को राहत सहायता एवं अन्य मदों में किये गये व्यय के भुगतान हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दैवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों / परिवारों को राहत सहायता एवं इस सम्बन्ध में व्यय किये गये विभिन्न मदों, यथा–विज्ञापन बिल कम्प्यूटर मरम्मत, कार्टेज रिफलिंग आदि के भुगतान हेतु राज्य आपदा मोचक निधि के मद संख्या–11 से किये जाने हेतु **वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू0 6,01,000 / –(रूपये छः लाख एक हजार मात्र) की धनराशि** निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(धनराशि लाख रू0 में)

| क्रमांक | जनपद का नाम, संख्या व दिनांक | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|
| 1 | खीरी, 1140, दिनांक 17.7.2021 | 1.00 |
| 2 | सिद्धार्थनगर, 3270, दिनांक 30.6.2021 | 1.03 |
| 3 | देवरिया, 1299, दिनांक 28.6.2021 | 3.98 |
| | योग | 6.01 |
| (रूपये छः लाख एक हजार मात्र) | | |

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद / विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(3) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्यं है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि

तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–2/1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक **31 मार्च, 2022** से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2–उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–11–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(रणवीर प्रसाद)
सचिव।

संख्या–1428(1)/एक–10–2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2–सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3–आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
4–विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई–बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
5–वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
6–सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7–वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
8–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

# Allotment Grid Report

**वित्तीय वर्ष:-2021-2022**
**आवंटन दिनांक-30/09/2021**

**प्रेषण संख्या:-** 1428
**आवंटन आदेश संख्या:-** 111-2021-2022
**अनुदान संख्या:-** 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
**लेखाशीर्षक:-** 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

**(धनराशि रु. में)**

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 42-अन्य व्यय | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | देवरिया-4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 398000<br>398000 | 398000<br>398000 |
| 2 | लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 100000<br>100000 | 100000<br>100000 |
| 3 | सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 103000<br>103000 | 103000<br>103000 |
| | **योग** | वर्तमान<br>प्रगामी | 601000<br>601000 | 601000<br>601000 |

**महायोग-** (वर्तमान आवंटन):- रूपया छ: लाख एक हजार
**महायोग-** (प्रगामी आवंटन):- रूपया छ: लाख एक हजार

30/9/2021.
(अखिलेश प्रताप सिंह)
**वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी**
(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।